

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/7123 / दो-15-28 / 87

जबलपुर, दिनांक 28 / 09 / 2024

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा0 क. 1127/21-ब (एक)/ 2024, दिनांक 15.03.2024(अंतिम नियम), सुविधा-8 उच्च अर्हता भत्ता की कंडिका-5 के आलोक में डॉ0 मुकेश मलिक, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा (यूनिक इम्पलाई कोड नंबर 140023508) को रजिस्ट्री आदेश क. ए/5131, दिनांक 06.07.2024 द्वारा नियुक्ति दिनांक 31.12.2018 के पूर्व एलएल0एम0 की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप उन्हें 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ का लाभ नियुक्ति दिनांक 31.12.2018 से प्रदान किया जा चुका है, के अनुक्रम में उनके द्वारा नियुक्ति दिनांक के पूर्व पी0एच0डी0(विधि) की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप उन्हें 01 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ नियुक्ति दिनांक 31.12.2018 से निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 04 में दर्शाये अनुसार स्वीकृत किया जाता है :-

उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति (सीधी भर्ती) का दिनांक	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	वेतनमान रूपये 144840-194660 / - (जे-5) में निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
दिनांक 31.12.2018	144840 / -	-	144840+18190 * (PP) = 163030/- [03 Adv. Inc. for LL.M. 13440 + 01 Adv. Inc. for P.H.D. 4750 = 18190 *]	31.12.2018
		31.12.2019	149190 + 18190 (PP) = 167380/-	01.12.2019
		31.12.2020	153670 + 18190 (PP) = 171860/-	01.12.2020
		31.12.2021	158280 + 18190 (PP) = 176470/-	01.12.2021
		31.12.2022	163030 + 18190 (PP) = 181220/-	01.12.2022
		31.12.2023	167920 + 18190 (PP) = 186110/-	01.12.2023

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(राजेश कुमार शर्मा)


रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक 28 / 09 / 2024

पृ. क्रमांक C/7124 / दो-15-28 / 87
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर/शिवपुरी/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार(एम)/असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा/पेंशन)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. डॉ0 मुकेश मलिक, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


रजिस्ट्रार(एम)